

# GOVERNMENT OF INDIA (भारते MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालये)

RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No. 8/201

JUR. No.E(MPP)2013/6/7

New Delhi.

dated: 15.01-2014

The General Managers (P) All Indian Railways and Production Units.

> Sub: Forwarding of Gazette Notification No.GSR 662(E) dated 27.09.2013 regarding enhancement of rates of stipend for Trade Apprentices under Apprentices Act, 1961.

Please refer to Ministry of Railways letters No.E(MPP)2007/6/3 dated 23.8.2007(RBE No.109/2007) and dated 9.3.2011 (RBE No.31/2011).

It has been decided that the Trade Apprentices engaged on the Indian Railways under Apprentices Act 1961 should be paid stipend with effect from 27th September 2013 at the revised rates as notified in the Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour & Employment's Notification No.G.S.R.662(E) dated 27th September 2013 published in Gazette of India Extraordinary (Copy of the notification is enclosed). The expenditure should be met from within the existing budget allotment.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

DA:As above

(Anuradha Singh) Director (MPP) Railway Board.

No.E(MPP)2013/6/7

New Delhi,

dated:15-01-2014

Copy forwarded for information to:

1. FA&CAOs, All Indian Railways and Production Units, Metro, COFMOW, CORE.

2. The Dy.Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi. (with 40 spares)

For Financial Commissioner/Railways

## Copy for information to:

1. Ministry of Labour, DGE&T (Sh.Dinesh Nijhawan, Director (AT)), Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

(Anuradhà Sinah) Director(MPP), Railway Board

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

> आर**बीई सं.** 8 /2014 नई दिल्ली, 14 / /2014

सं. ई(एमपीपी)2013/6/7

महाप्रबंधक (पी) सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.

विषय : दिनांक 27.09.2013 की राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 662(ई) जो अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिसों के लिए वज़ीफा की दरें बढ़ाने के बारे में है, को अग्रेषित करना।

कृपया रेल मंत्रालय के दिनांक 23.8.2007 (आरबीईसं. 109/2007) और दिनांक 9.3.2011 (आरबीई सं. 31/2011) के पत्र सं. ई(एमपीपी)2007/6/3 का अवलोकन करें।

यह विनिश्चय किया गया है कि अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के अंतर्गत भारतीय रेलों में नियुक्त ट्रेड अप्रेंटिसों को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित रोजगार एवं प्रशिक्षण महा निदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 27 सितम्बर, 2013 की अधिस्चना सं. जी एस आर 662 (ई) (अधिस्चना की प्रति संलग्न है) में यथा अधिस्चित संशोधित दरों पर 27 सितम्बर, 2013 से वज़ीफे का भुगतान किया जाए। इस व्यय को मौजूदा बजट आबंटन से पूरा किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

कृपया पावती दें।

संलग्नक : यथोक्त

अनुराधा सिंह) (अनुराधा सिंह) निदेशक (एमपीपी) रेलवे बोर्ड

# HRA En USIUS The Gazette of India

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2013/आश्विन 5, 1935

No. 497]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2013/ASVINA 5, 1935

# श्रम और रोजगार मंत्रालय रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 662(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्षुत्रों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. शिक्षुता नियम, 1992 में नियम 11 के उप-नियम (1) में खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—
  - "(क) प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान-2100 रुपए प्रतिमास
  - "(ख) प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान-2400 रुपए प्रतिमास
  - "(ग) प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान-2800 रुपए प्रतिमास
  - "(घ) प्रशिक्षण के चौथे वर्ष के दौरान-3100 रुपए प्रतिमास" [फा. संख्या डीजीईटी-4(1)/2012-एपी] शिखर अग्रवाल, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3 उप-खंड (i), तारीख 1 अगस्त, 1992 में संख्या सा.का. नि. 356, तारीख 15 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 75(अ), तारीख 8 फरवरी, 2012 द्वारा ॲतिम बार संशोधित किए गए थे।

### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2013

GS.R. 662(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Apprentiship (Second Amendment) Rules, 2013.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Apprenticeship Rules, 1992, in sub-rule (1) of Rule 11, for clauses (a), (b), (c) and (d) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—
  - "(a) During the first year of training -₹2100 per month
  - (b) During the Second year of training

-₹2400 per month

(c) During the third year of training

-₹2800 per month

(d) During the fourth year of training

-₹ 3100 per month [F. No. DGET-4(1)/2012-AP]

SHIKHAR AGRAWAL, Directorate General/Jt. Secy. Foot Note.—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 356,r dated the 15th July, 1992 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i), dated the 1st August, 1992 and last amended *vide* number G.S.R. 75(E), dated the 8th February, 2012.